

तारीख
हुक्म

-यायालय सहायक कलक्टर अलवर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सु.नं. 2/11 ता. रज्जु: 16.9.15

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दावा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act

उत्तरान:- वावू लाल vs कन्हैयालाल

लोक अदालत कैम्प कोर्ट: प्रखीपुरा

23.5.17

आज प्रखरली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेरा
ईई) वादी स्वयं प्रतिवादी सं 3 वकील
वादी ने एक बार प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act-
का पेरा किया कि आराजी ख.नं. 783, 1191,
1209, 1212, 507, 510, 511 की खातेदारी
की, स्वयं और खातेदारी की आराजी ख.नं.
444, 445, 498 वाले ग्राम प्रखीपुरा तह. मानसरोवर
जिला अलवर में से ख.नं. 783, 1191, 1209, 1212,
444, 445, 498 का $\frac{1}{4}$ भाग व ख.नं. 507, 510,
511, का $\frac{1}{5}$ भाग मोती पुत्र मंगला के नाम दर्ज
रिकॉर्ड हैं, जिसका निधन हो चुका है जिसका इन्तकाल
दर्ज नहीं हुआ है। जिसके वारिस प्रतिवादी सं 3 लगायत
हैं। ख.नं. 507, 510, 511 का $\frac{1}{5}$ भाग मोती पुत्र
मंगला के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं जिसका भी निधन
होगया जिसका इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है जिसके
वारिस प्रतिवादी सं. 3 लगायत हैं। ख.नं. 507
510, 511 का $\frac{1}{5}$ भाग बीजा बेवा मंगला के नाम
दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिसका भी निधन हो चुका है जिसके
वादी व असल प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 वारिस हैं
जिसका भी इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार
से विचारित आराजी में से वादी $\frac{1}{4}$ भाग का, व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

प्रतिकरी सं. 2-3 प्रत्येक $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$ भाग के व प्रतिवरी
सं. 3 लगभग 9 भी $\frac{1}{4}$ भाग में खातेदार कागज
होकर कायत करने चले आ रहे हैं) अभी विभाजन
पही हुआ है)

पश्चावली लोक अशासन बोम्ब कोर्ट ने इच्छीपुरा में
पेश हुई वादी एवम् प्रतिवादीगण ने राजीनामा
या. पत्र पेश कर आ पूरा वाद में प्रारम्भिक डिक्ली
अर्ची में से अर्ची पुरी जैसे पुरी रिकॉर्ड के हिस्से
के अनुसार विभाजन करने के प्राथमिक डिक्ली के
आदेश दिए गए हैं

अतः उमय पञ्चकाल का वादा केसला तक
आपसी विवेचना से पावड किया जाता है कि
उक्त आराजी वाले ग्राम इच्छीपुरा तह. मालवा
जिला मालवा में रिकॉर्ड एवम् मौके पर ही
अथवा सिविल बनाए रंगे।

पश्चावली केसल शुभा रमे. नम्बर के 45 वा. 2
5 नम्बर कागज में

सहायक कलक्टर
अलवर (राज.)